भारत में बहुभाषावाद

प्रलिम्सि के लयि:

भारतीय भाषाएँ, बहुभाषावाद, आठवीं अनुसूची

मेन्स के लयि:

भारतीय भाषाओं का संरक्षण और संवर्द्धन, भारत की ववििधिता

स्रोत:लाइव मटि

चर्चा में क्यों?

वर्तमान में परस्पर जुड़े हुए वैश्वकि परविश में बहुभाषावाद ने अपने **बहुमुखी महत्त्व** के लयि मान्यता प्राप्त की है। इसमें न केवल इसके संज्ञानात्मक लाभ बल्कि **ववििधि संस्कृतयिों को समृद्ध करने** की क्षमता भी शामलि है।

- **बहुभाषावाद को अपनाने** के महत्त्व का एक प्रमुख उदाहरण भारत है, जहाँ भाषाओं और लपियिों की प्रचुरता है।

भारत का बहुभाषी परदिृश्य:

- **बहुभाषी लैंडस्केप:**
  - भारत वशि्व में सबसे अधकि भाषायी ववििधिता वाले देशों में से एक है, पूरे देश में 19,500 से अधकि भाषाएँ बोली जाती हैं।
    - यह ववििधिता भारतीयों को बहुभाषी होने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है,**जसिका अर्थ है संचार में एक से अधकि भाषाओं का उपयोग करने में सक्षम होना।**
  - **भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 25% से अधकि जनसंख्या दो भाषाएँ बोलती है, जबकि लगभग 7% तीन भाषाएँ बोलते हैं।**
    - अध्ययनों में कहा गया है कि युवा भारतीय अपनी बुज़ुर्ग पीढ़ी की तुलना में अधकि बहुभाषी हैं, 15 से 49 वर्ष आयु की लगभग आधी शहरी आबादी दो भाषाएँ बोलती है।
- **भारत की ववििधिता में बहुभाषावाद का योगदान:**
  - भारत का बहुभाषावाद न केवल संख्या का मामला है, बल्कि संस्कृति, पहचान और इतिहास का भी मामला है।
    - भारत की भाषाएँ इसके ववििधि और बहुलवादी समाज को दर्शाती हैं, जहाँ वभिन्नि धर्मों, नस्लों, जातयिों और वर्गों के लोग एक साथ रहते हैं और बातचीत करते हैं।
- **बहुभाषावाद के लाभ:**
  - बहुभाषावाद स्मृति, ध्यान, समस्या-समाधान और रचनात्मकता जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ा सकता है।
    - शोध से पता चला है कि द्वभिाषी और बहुभाषी लोगों के पास बेहतर कार्यकारी कार्यक्षमता होती है, वे मानसकि प्रक्रयिाओं की योजना बनाने, उन्हें व्यवस्थति और नयिंत्रति करने के लयि ज़म्मिेदार होते हैं। शोध के अनुसार, मानसकि प्रक्रयिाएँ योजना नरि्माण, व्यवस्था और प्रबंधन से संबंधति कार्यों का कार्यान्वयन क्षेत्र है, जसिमें द्वभिाषी तथा बहुभाषी व्यक्ति बेहतर प्रगति कर सकते हैं।
  - बहुभाषावाद सहानुभूति, परप्रि्रेक्ष्य और अंतर-सांस्कृतकि क्षमता जैसे सामाजकि एवं भावनात्मक कौशल में भी सुधार कर सकता है।
    - वभिन्नि भाषाएँ सीखकर लोग वभिन्नि संस्कृतयिों, मूल्यों और वशि्व-दृष्टकिोण तक अभगिम कर सकते हैं, जो उन्हें ववििधिता को समझने तथा उसकी सराहना करने में मदद कर सकता है।
  - बहुभाषावाद व्यावहारकि लाभ भी प्रदान कर सकता है, जैसे कि करियिर के अवसर, यात्रा अनुभव और सूचना एवं मनोरंजन तक अभगिम।
    - एक से अधकि भाषाओं के ज्ञान से लोग अधकि लोगों के साथ संवाद कर सकते हैं, अधकि स्थानों का पता लगा सकते हैं और अधकि संसाधनों का आनंद ले सकते हैं।

भारत में भाषाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 29:**
    - यह **अल्पसंख्यकों के हितों** की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को **अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार** है।
    - यह नस्ल, जाति, पंथ, धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव पर भी रोक लगाता है।
- **आठवीं अनुसूची:**
    - यह भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करता है। **भारतीय संविधान का भाग XVII अनुच्छेद 343 से 351 तक** आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है।
        - भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची **22 आधिकारिक भाषाओं** को मान्यता देती है:
            - असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।
    - सभी **शास्त्रीय भाषाएँ** संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।
        - भारत में वर्तमान में छह भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध **'शास्त्रीय' भाषा का दर्जा** प्राप्त है।
            - तमिल (वर्ष 2004 में घोषित), संस्कृत (वर्ष 2005), कन्नड़ (वर्ष 2008), तेलुगू (वर्ष 2008), मलयालम (वर्ष 2013), और उड़िया (वर्ष 2014)।
- **अनुच्छेद 343:**
    - इसके अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा **हिंदी** और **लिपि देवनागरी** होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।
        - इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की कालावधि के लिये अंग्रेज़ी आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग की जाती रहेगी।
- **अनुच्छेद 345:**
    - किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा **राज्य में उपयोग में आने वाली किसी एक अथवा अधिक भाषाओं** अथवा हिंदी को उस राज्य के सभी अथवा किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिये उपयोग की जाने वाली भाषा अथवा भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा।
- **अनुच्छेद 346:**
    - यह **आधिकारिक संचार में कई भाषाओं के उपयोग की अनुमति** देकर भारत की भाषायी विविधता को मान्यता देता है। यह राज्यों के बीच तथा राज्य और संघ के बीच प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिये एक तंत्र भी प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 347:**
    - यह राष्ट्रपति को **किसी भाषा को किसी राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता** देने की शक्ति देता है, बशर्ते कि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि उस राज्य का एक बड़ा भाग चाहता है कि उस भाषा को मान्यता दी जाए। ऐसी मान्यता राज्य के एक हिस्से अथवा संपूर्ण राज्य के लिये हो सकती है।
- **अनुच्छेद 348(1):**
    - इसमें प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही **अंग्रेज़ी भाषा** में होगी जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे।
- **अनुच्छेद 348(2):**
    - इसमें प्रावधान है कि अनुच्छेद 348(1) के प्रावधानों के बावजूद किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, में हिंदी भाषा या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।
- **अनुच्छेद 350:**
    - प्रत्येक व्यक्ति किसी भी शिकायत के निवारण के लिये संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ या राज्य में उपयोग की जाने वाली किसी भी भाषा में, जैसा भी मामला हो, प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का हकदार होगा।
    - भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 350A** में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य को **प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान करनी होगी।**
    - **अनुच्छेद 350B भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये "विशेष अधिकारी"** की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 351:**
    - यह केंद्र सरकार को **हिंदी भाषा के विकास** हेतु निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

1. यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया।
2. पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारत के संदर्भ में 'हल्बी, हो और कुई' शब्द पद किससे संबंधित हैं? (2021)

(a) पश्चिमोत्तर भारत का नृत्यरूप
(b) वाद्ययंत्र
(c) प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला
(d) जनजातीय भाषा

उत्तर: (d)

प्रश्न. हाल ही में निम्नलिखित में से किसे एक भाषा को शास्त्रीय भाषा (क्लासिकल लैंग्वेज) का दर्जा (स्टेटस) दिया गया है? (2015)

(a) उड़िया
(b) कोंकणी
(c) भोजपुरी
(d) असमिया

उत्तर: (a)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/multilingualism-in-india